बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 187

विनिर्माण में सुधार की प्रत्याशा

वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला निरंतर परिवर्तनशील है और भारत के पास अवसर है कि वह इसका लाभ उठाए। लंबे समय तक वैश्विक विनिर्माण का गढ़ रहे चीन में लागत बढ़ रही है और अमेरिका के साथ उसकी कारोबारी जंग मौजूदा आपूर्ति व्यवस्था को बाधित कर रही है। कई कंपनियां अपना ठिकाना बदलने की तैयारी में हैं और भारत उनका संभावित केंद्र हो सकता है। अब तक घरेलू जोखिम कारक और ऊंची लागत ने देश के विनिर्माण को अपेक्षाकृत गैर प्रतिस्पर्धी रखा है। यही कारण है कि ज्यादा कंपनियों ने भारत का रुख नहीं किया। परंतु सरकार के हालिया कदम इस रुख को बदल सकते हैं। इनमें सबसे अहम है बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट आय कर को घटाकर 25.17 फीसदी करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत सप्ताह इसकी घोषणा की। इस कदम के बाद बने माहौल में एक बात को भुला दिया गया कि नई विनिर्माण कंपनियों पर इससे भी कम यानी मात्र 17 फीसदी की दर से कर लगेगा। इसमें अधिभार और उपकर शामिल हैं। यह विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश की दृष्टि से अच्छा कदम है।

नए निवेश के लिए इस तरह की कर कटौती के ऐसे निवेश के प्रति शेयर प्रतिफल पर अहम असर होगा। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कदम बड़ी कंपनियों के आयकर में कटौती की भावना के भी अनुरूप है क्योंकि उस कदम का लक्ष्य भी दक्षिण पूर्व एशिया के समकक्ष राष्ट्रों के बीच भारत को प्रतिस्पर्धी बनाना है। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में भी नए निवेश के लिए रियायती कर दर है। वे दरें भारत की नई दरों से भी कम हैं। उदाहरण के लिए जो कंपनियां अपने क्षेत्रीय मुख्यालय को थाईलैंड ले जाती हैं उन्हें 10 फीसदी से भी कम कॉर्पोरेट कर देना होता है। इन कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों पर 15 फीसदी की दर से कर लगता है।

नई विनिर्माण इकाइयों पर कर कटौती को उन अन्य कदमों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए जो नए निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए वेतन संहिता को सुसंगत बनाया गया है और कुछ निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों को अनुबंधित श्रम का इस्तेमाल बढ़ाने की इजाजत दी गई है। सरकार ने हाल ही में अनुबंधित विनिर्माण में विदेशी निवेश पर भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। इसमें स्वचालित माध्यम से 100 फीसदी निवेश की इजाजत है। वित्त मंत्री ने गत पखवाड़े निर्यातकों के लिए एक नया पैकेज भी घोषित किया जो विश्व व्यापार संगठन में भारत के दायित्वों के अनुरूप होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी तय समय में की जाएगी।

ऋण की कमी से जूझ रहे निर्यात आधारित क्षेत्रों को बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के ऋण मानक शिथिल करने का फायदा मिलेगा। यहां व्यापक प्रयास ऐसा माहौल तैयार करने का है जो देश के विनिर्माण क्षेत्र के जोखिमों के बीच पूंजी का विस्तार करने को तैयार हों। पूंजी को जोखिम पहुंचाने वाले कारकों में से उच्च कर की समस्या को हल कर दिया गया है। रिजर्व बैंक उच्च ब्याज दर की समस्या को भी निरंतर हल कर रहा है। परंतु अभी काफी कुछ किया जाना है। विनिर्माण क्षेत्र लंबे समय से व्यापक केंद्रीय श्रम एवं भूमि सुधार की मांग कर रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आगे बढ़ने के क्रम में प्रशासनिक और नियामकीय जोखिम पर भी नजर डालनी होगी। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, अग्रिम कर को लेकर स्पष्ट नियम, न्यायिक क्षेत्र में क्षमता विस्तार और स्वतंत्र एवं राजनीति निरपेक्ष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक है। केवल ऐसा करके ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है।

अजय मोहंती

राजस्व के मोर्चे पर नया विश्लेषण

राजस्व क्षेत्र के नए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर जो उछाल नजर आ रही है वह स्वागत योग्य है लेकिन इसके कारणों की समुचित पड़ताल भी उतनी ही आवश्यक है। विस्तार से बता रहे हैं **पार्थसारथि शोम**

राजस्व के मोर्चे पर ऐसे नए आंकड़े उपलब्ध हुए हैं जो राजस्व रुझानों के बारे में नई जानकारी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में उनका विश्लेषण किया जाना भी लाजिमी है। ये आयकर विभाग की टाइम सीरीज के 2000-01 से लेकर 2017-18 तक के आंकड़े हैं। सांख्यिकी से शुरुआत करें तो 2017-18 के आंकड़े प्रारंभिक हैं और 2016-17 के अनुमान वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानकर दिए गए पहले संशोधित अनुमान हैं। वर्ष 2014-15 से जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था। 2004-05 से 2013-14 तक 2004-05 ही जीडीपी शृंखला का आधार वर्ष था। इन सबको आपस में मिला दिया गया है। हालांकि उछाल का आकलन भले ही अधिक न हो लेकिन निरंतरता आवश्यक है।

उछाल या उत्प्लावकता, जीडीपी में प्रत्येक फीसदी की वृद्धि को लेकर कर राजस्व की प्रतिक्रिया है। स्पष्ट है कि 2015-16 से लेकर 2017-18 तक के आंकड़े 1.8 फीसदी की स्थिर उछाल दर्शाते हैं। इससे पहले 2004-05 और 2006-07 के बीच ऐसी स्थिर दर से उछाल दर्ज की गई थी। उस दौर में यह 1.5 से बढ़कर 2.4 हो गई थी। यह वह दौर था जब निजी क्षेत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। जाहिर है कर राजस्व में इस क्षेत्र का योगदान भी उसी तेजी से बढ़ रहा था।

मौजूदा दौर के सांख्यिकीय आंकड़े निजी क्षेत्र में उस किस्म की तेजी नहीं दर्शा रहे हैं। फिलहाल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम उप क्षेत्र विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 1.8 की उच्च कर राजस्व उत्प्लावकता कहां से आई? आदर्श स्थिति में इसका उत्तर आयकरदाताओं की बढ़ती तादाद में मिलना चाहिए जो अपने आप में एक उपलब्धि होनी चाहिए। यह कर प्रशासन के कर वंचकों और कर दायरे के आसपास के लोगों को कर चुकता करने वालों की श्रेणी में लाने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत हो सकता है। दूसरी ओर, एक राजस्व लक्ष्य तय करके, अतिरिक्त राजस्व हासिल किया जा सकता है। इसका दबाव अच्छे और बुरे करदाताओं पर एक साथ पड़ता है लेकिन यह अधिकारियों पर भी इस बात का दबाव बना सकता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चाहे जैसी हो, वे कर संग्रह के प्रयास में लगे रहें।

नीति निर्माताओं के सामने यह चुनौती है कि वे करदाताओं के आधार का विस्तार करें और इसके साथ ही करदाताओं और कर अधिकारियों पर से अनावश्यक दबाव को भी कम करे। उन्नत कर प्रशासन ने राजस्व लक्ष्य को राजस्व निगरानी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दिया है जो मौजूदा कारोबारी चक्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय उद्योग जगत को पटरी पर वापस लाने के लिए ऐसे रुख की आवश्यकता है। दिक्कत में चल रहे क्षेत्रों को कर प्रोत्साहन देने के रूप में कर दरों में कमी करने और कर दबाव कम करने की बात करें तो कर संबंधी दबाव कम करना अर्थव्यवस्था को वापस वृद्धि दर पर लाने में कहीं अधिक मददगार साबित हो सकता है। इसे हासिल करना आसान नहीं है लेकिन जिन देशों में इसका क्रियान्वयन किया गया, वहां यह नीति सही साबित हुई है। नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर पर कर प्रशासन की गतिविधियों पर अधिक से अधिक नजर रखने की आवश्यकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो कर उत्प्लावन 1.8 से ऊपर के स्तर पर जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह वृद्धि अस्थायी होगी और इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा परिदृश्य उस रुझान का है जहां प्रत्यक्ष कर में तेजी से इजाफा हो रहा है और वर्ष 2007-08 से वह कुल राजस्व हिस्सेदारी में अप्रत्यक्ष कर से आगे निकल गया। परंतु 2009-10 में उच्चतम अंतर के स्तर पर पहुंचने के बाद इस अंतर में 2015-16 तक कमी आई। वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी एक बार फिर बढ़ी और वह प्रत्यक्ष कर से अधिक हो गई। कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 50.3 फीसदी हो गई। परंतु वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर फिर अप्रत्यक्ष कर से आगे निकल गया और कर राजस्व में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 52.3 फीसदी हो गई। अप्रत्यक्ष कर के प्रत्यक्ष कर से अधिक होने की अंतरिम अवधि में सीमा शुल्क और घरेलू उत्पाद शुल्क की वापसी नजर आई। मौजूदा वैश्विक कराधान परिदृश्य में जहां अमेरिका कारोबारी साझेदारों के समक्ष गतिरोध खड़े कर रहा है वहीं, भारत को भी अपनी शुल्क व्यवस्था की जांच करने की आवश्यकता है।

सवाल यह उठता है कि वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से आगे निकल गया तो क्या यह केवल करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से हुआ? इसमें दो राय नहीं कि करदाताओं की तादाद में बढ़ोतरी हुई है लेकिन कहीं यह कर जुटाने संबंधी दबाव बढ़ने के कारण तो नहीं हुआ। या फिर यह जीएसटी की उच्च इनपुट कर क्रेडिट के कारण राजस्व को हुई हानि के कारण परिलक्षित हो रहा है क्योंकि निर्यात क्षेत्र में भारी भरकम रिफंड आया है।

जीएसटी दरों में बार-बार बदलाव भी इसका कारण हो सकता है। कई क्षेत्रों की ढांचागत जरूरतों की दृष्टि से दरों में यह बदलाव आवश्यक हो सकता है। परंतु एक नीतिगत चुनौती अभी भी बरकरार है। वह यह कि जिन क्षेत्रों में इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत अधिक न हो वहां दरों में बदलाव न किया जाए।

चाहे जो भी हो परंतु कर दरों में कटौती के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं पर यह साबित करने का बोझ रहता है कि संबद्ध लाभ को उपभोक्ताओं तक न पहुंचने देकर उन्होंने खुद को रिफंड मिलने से पहले अवांछित रूप से लाभ नहीं पहुंचाया है। यह बोझ समाप्त होना चाहिए।

अवांछित समृद्धि की अनुपस्थिति को साबित कर पाना कठिन काम है। इससे कानूनी मामला बने न बने, जीएसटी लाभ को नुकसान पहुंचने की शिकायतों का आधार तो बनता है। इसके अतिरिक्त अगर निर्यात रिफंड बढ़ता है तो जब तक वह वैध है, उसे तत्काल मंजूरी दी जानी चाहिए, बजाय राजस्व संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देने के। ऐसे में सरकार का यह प्रभावी निर्देश आश्वस्त करने वाला है कि रिफंड की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। जमीनी स्तर के सुधारों की निगरानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों में होनी चाहिए।

शौचालय निर्माण पर मनाएं खुशियां पर सावधानी बरतनी भी जरूरी

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

निस्संदेह यह बड़ी बात है। गत चार वर्षों में भारत ने अपने छह लाख गांवों में करीब 10 करोड़ और शहरों में करीब 63 लाख शौचालय बनवाए हैं। कुछ साल पहले जो नामुमकिन लगता था अब वह पूरा हो चुका है और देश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2019 तक देश के 93 फीसदी से अधिक घरों में शौचालय मौजूद थे, 93 फीसदी से अधिक ग्रामीण लोग खुले में शौच नहीं जाते थे और शौचालय सुविधा से लैस करीब 96 फीसदी लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे थे। यह देश में शौचालयों के उपयोग को लेकर एक बड़ा व्यवहारगत परिवर्तन भी दर्शाता है। करीब 99 फीसदी शौचालयों का रखरखाव ठीक ढंग से हो रहा है, वे साफ-सुथरे हैं और शत-प्रतिशत शौचालय मल-मूत्र का 'सुरक्षित' निपटान कर रहे हैं। शौचालय बनने से किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैला है और असल में, 95 फीसदी गांवों में पानी इकट्ठा नहीं होता है, कोई अपशिष्ट जल नहीं निकलता और नाममात्र की ही गंदगी होती है। ये आंकड़े आश्चर्यजनक हैं।

हमें इनके बारे में कैसे पता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने दो निजी सलाह फर्मों- आईपीई ग्लोबल और कैंटार को देश भर में सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा था ताकि भविष्य में विश्व बैंक से धन हासिल करने के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सके। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) का दूसरा चरण नवंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 के बीच चला था। इस दौरान जमीनी हालात को परखने के लिए 6135 गांवों और 92,411 परिवारों का जायजा लिया गया।

वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि सभी शौचालयों की जियो-टैगिंग की गई है ताकि उनकी पुष्टि की जा सके। सबसे अहम बात, शौचालय निर्माण कार्यक्रम के लाभ स्वास्थ्य संकेतकों में नजर आ रहे हैं। यह सर्वे विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का हवाला देते हुए कहता है कि अधिक शौचालय उपलब्धता वाले जिलों में पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में डायरिया और मलेरिया के मामले नाटकीय रूप से कम हुए हैं। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है, केवल एक और बात है। साक्ष्य कहते हैं कि देश एक नामुमकिन-सा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। असल में, भारत की यह उपलब्धि शौचालयों के विस्तार एवं मल-मूत्र के सुरक्षित निपटान संबंधी वैश्विक संवहनीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने में एक अहम स्थान रखेगी। हालांकि इस कामयाबी को टिकाऊ बनाने की जरूरत है ताकि यह स्थायी बन सके। यहीं पर बड़ा जोखिम भी है। भले ही हम इस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं लेकिन हमें शौचालय चुनौती को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है और अभी बहुत कुछ गलत होने की गुंजाइश भी है।

पहली बात यह है कि सभी कार्यक्रमों में एक समय के बाद गिरावट आती है। यह कार्यक्रम भी इससे जुदा नहीं होगा। लिहाजा अगर शौचालय बने हैं और लोग उनका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं तब भी यह रुझान बिना देरी के पलट सकता है। जब पाक्षिक पत्रिका 'डाउन टु अर्थ' के संवाददाताओं ने शौचालयों का हाल जानने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया तो उन्हें कुछ अच्छी एवं बुरी बातें पता चलीं। अतीत में शौचालयों की भारी कमी से जूझने वाले उत्तर प्रदेश में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। शौचालयों की मौजूदगी दिखाई दी और खासकर महिलाएं न केवल उनका इस्तेमाल कर रही थीं बल्कि संख्या बढ़ाने की मांग रखी। लेकिन वर्ष 2017 में ही ओडीएफ घोषित किए जा चुके राज्य हरियाणा में लोग एक बार फिर से खुले में शौच की पुरानी आदत अपनाते नजर आए। यह इस लिहाज से भी अहम है कि हरियाणा को लोगों के शौच व्यवहार में बदलाव के लिए खास तौर पर चिह्नित किया गया था। लेकिन शौचालय अब टूटे-फूटे हैं, लोगों के इस्तेमाल लायक नहीं रहे या फिर लोग सदियों पुरानी आदत की तरफ लौटने लगे हैं।

दूसरा, मल-मूत्र के निपटान का मुद्दा है। एनएआरएसएस 2018-19 सर्वेक्षण में सुरक्षित निपटान की अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण परिभाषा का उपयोग किया गया है। अगर शौचालय किसी सेप्टिक टैंक, एकल या दोहरे गड्‌ढों या किसी नाले से जुड़ा है तो उसे सुरक्षित कहा गया है।

सच्चाई यह है कि यह केवल मल-मूत्र का फैलाव रोकने की व्यवस्था है, न कि उसका निपटान। अनुमान है कि ग्रामीण इलाकों में बने करीब 10 करोड़ शौचालयों का बड़ा हिस्सा एकल या दोहरे गड्ढों वाले संडास हैं। लोग एक गड्ढे में मल-मूत्र विसर्जन करते हैं और उसे खाली कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संडास गड्ढों से यह अवशिष्ट कहां जाता है? पड़ोस के पोखर, तालाब, नाले या फिर खेतों में? यह भी कहा जा सकता है कि शौचालय अभी नए बने हैं लिहाजा शौचालय गड्ढों में इकट्ठा विष्ठा को ठिकाने लगाने की अभी कोई जरूरत ही नहीं आएगी। लेकिन आने वाले समय में तो ऐसा होगा। साफ है कि अगर इस मल-मूत्र का समुचित निपटान नहीं होता है तो यह लोगों की सेहत पर काफी भारी पड़ेगा। शौचालय न केवल गंदगी फैलने का जरिया बनेंगे बल्कि मिट्टी एवं पानी के दूषित होने से सेहत लाभ भी खत्म होते जाएंगे। तीसरा, शौचालय आकलन की विश्वसनीयता का सवाल भी है। सही रास्ते की जानकारी के लिए यह बेहद जरूरी है। फिलहाल शौचालयों की स्थिति के बारे में सारे अध्ययन परियोजना के धन प्रदाता या मंत्रालय की तरफ से ही कराए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणाम या शोध-पद्धति को लेकर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि भारत में कभी भी कोई चीज इतनी सही या गलत नहीं हो सकती है। ऐसे में कई अन्य संस्थाओं की तरफ से और अलग नजरिये को लेकर इनका आकलन करने की जरूरत है। शौचालय के बारे में अच्छी खबर बताते समय भी हमें यह याद रखना चाहिए कि 'अगर हम सभी तालियां बजाने वाले बन जाएंगे तो फिर तालियां बजाने के लिए कोई टीम ही नहीं बचेगी'।

कानाफूसी

धन की कमी

कांग्रेस पार्टी को धन की कमी है। ऐसे में कंपनी को नकदी जुटाने के लिए नए-नए तरीके तलाश करने पड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की राज्य इकाई का खजाना खाली हो चुका है। पार्टी प्रदेश में टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों से धन दान करने को कह रही है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सामान्य श्रेणी के टिकट चाहने वालों से कहा गया है कि वे कम से कम 5,000 रुपये जमा करें। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से 2,000 रुपये जमा करने को कहा गया है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 से 1,000 के बीच उम्मीदवार हैं। ऐसे में प्रदेश इकाई का अनुमान है कि वह करीब 50 लाख रुपये एकत्रित कर लेगी। हाल ही में इकाई के कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी ने विधायकों और पूर्व विधायकों को नोटिस जारी कर कहा था कि वे वर्ष में एक बार एक महीने का वेतन या पेंशन पार्टी में जमा करें। यह बात अलग है कि कम ही लोगों ने इसका पालन किया।

टिकट के आकांक्षी

चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की दर्जन भर सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित किए जाने के साथ ही राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट चाहने वालों ने अपनी पसंद की सीटों के लिए लॉबीइंग भी शुरू कर दी है। इनमें से ज्यादातर सीटें तब खाली हुईं जब इनके विधायक चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विपक्षी विधायक भी भाजपा से टिकट चाहते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के तीन विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे सौहार्द भेंट बताया है लेकिन इस बैठक के बाद सपा के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। वहीं सपा विधायकों वाली सीटों से टिकट चाहने वाले भाजपा नेता भी हरकत में आ गए हैं।

आपका पक्ष

ई-सिगरेट पर रोक अच्छी पहल

सरकार का ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने का निर्णय सराहनीय है। इस निर्णय से उन सिगरेट कंपनियों के झूठे प्रचार को झटका लगेगा जो ई-सिगरेट के नुकसान रहित होने का दुष्प्रचार कर रही थीं। इस नियम के पहली बार उल्लंघन करने पर एक साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ई-सिगरेट निकोटिन डिलिवरी सिस्टम एक बैटरी संचालित उपकरण है जो तरल निकोटिन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक वर्ष 2005 से ही ई-सिगरेट उद्योग एक वैश्विक व्यवसाय बन चुका है और आज इसका बाजार लगभग 3 अरब डॉलर का हो गया है। तंबाकू से करीब 25 तरह की बीमारियां और करीब 40 तरह के कैंसर हो सकते हैं। इनमें मुंह, गले, फेफड़े और प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। वर्ष

2018 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए सलाह जारी की थी। सरकार की सलाह के बाद अब तक 16 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के आधार पर इस समय विश्व में प्रत्येक साल 50 लाख से अधिक लोग धूम्रपान के कारण जान से हाथ धो रहे हैं। अगर इस समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2030 में धूम्रपान से मरने वाले लोगों की संख्या प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक हो जाएगी। तंबाकू सेवन से प्रत्येक साल 10 में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। वर्ष 2020 तक 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तंबाकू के इस्तेमाल को घटाने से लगभग 10 करोड़ लोगों की असामयिक मौत से बचा सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार हर साल 60 लाख लोग तंबाकू के कारण मर जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन करीब 2,739 लोग तंबाकू उत्पादों के कारण कैंसर व अन्य बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। भारत में 42.4 प्रतिशत पुरुष, 14.2 प्रतिशत महिलाएं और सभी वयस्कों में 28.8 प्रतिशत लोग धूम्रपान करते है। लोगों को इससे होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराना होगा। इससे सरकार को वित्तीय नुकसान होगा लेकिन देश के नागरिक के स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है।

सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री तथा भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है

अजय प्रताप तिवारी, गोंडा

प्लास्टिक मुक्त भारत की कल्पना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक देश को प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को तभी हटाया जा सकता है जब हम उसका विकल्प खोज लेंगे। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है। इसमें दवा, पानी और कई तरह के चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। खाने की चीजें खराब नहीं हो इसलिए प्लास्टिक की पैकिंग की जाती है। सबसे बड़ी बात इस उद्योग में लाखों रुपये निवेश किए गए हैं। इस उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसे फौरन बंद करने का आदेश देना उचित नहीं है। हमें इसके हर पहलू पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह वैश्विक समस्या है। दुनिया भर में लगभग 300 टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है जिसमें 130 लाख टन प्लास्टिक समुद्र और नदियों में बहाया जाता है। सरकार इसपर प्रतिबंध लगाने से पहले सोच विचार करे।

प्रियंबदा, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।